

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4307
जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....
भूजल प्रदूषण

4307. डॉ सुजय विखे पाटील:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रसायन और उर्वरक का अंधाधुंध उपयोग देश में तेजी से बढ़ते भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा भूजल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड अपने भूमि जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर देश की भूमि जल गुणवत्ता आंकड़े तैयार करता है। भूमि जल के संदूषण का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। भारती कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अध्ययन नाइट्रोजन युक्त खादों के अत्यधिक उपयोग, खासकर हल्की बनावट वाली मृदा में, के कारण 10 मि.ग्रा. NO₃-N/L की अनुमत्य सीमा से ऊपर भूमि जल में नाइट्रेट संदूषण की संभावना दर्शाया है, जिसका, यदि पेयजल के लिए उपयोग किया जात है, तो मानव/पशु के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

(ग) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर बूंद से अधिक फसल' का कार्यान्वयन कर रहा है, जो कि देश में वर्ष 2015-16 से प्रचालन में है। पीएमकेएसवाई - पीडीएमसी लघु सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात् ड्रिप और स्प्रींकलर सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर ध्यान केन्द्रित करता है। सूक्ष्म सिंचाई न केवल जल बचत में सहयोग करती है बल्कि फर्टिगेशन के माध्यम से खादों के उपयोग को घटा, श्रमिक पर होने वाले व्यय तथा मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के अलावा अन्य इनपुट तथा इनपुट लागतों को कम करने में सहायता करती है।

इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग को रोकने/घटाने के लिए पौधों के पोषकों के अजैविक और जैविक दोनों स्रोतों (गोबर खाद, जैविक खाद) आदि के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक प्रबंधन की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, स्प्लिट अनुप्रयोग तथा खादों का प्रतिस्थापन, एन-खादों को धीमे-धीमे छोड़ते हुए उपयोग तथा नाइट्रिफिकेशन इनहीबिटर, बढ़ते फलीदार फसलों और संसाधन संरक्षण पद्धतियों का

उपयोग की भी सिफारिश की गई है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण, फ्रोंट लाइन प्रदर्शन आदि आयोजित करता है।

सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक के तहत मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक गोबर खाद और जैव खाद के संयुक्त उपयोग द्वारा द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक सहित रसायनिक खादों के न्ययोचित उपयोग, प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के माध्यम से मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला कर्मचारियों, विस्तार कर्मचारी और किसानों के कौशल और ज्ञान का अपग्रेडेशन के माध्यम से देश में मृदा प्रशिक्षण आधारित संतुलित एकीकृत पोषक प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में देश में सभी किसानों के लिए मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक की सिफारिश उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन शुरू किया गया है।

सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक के तहत पारंपरिक तथा हानि विहीन उर्वरकों के उपयोग के आवश्यकता सहित उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के प्रभाव के संबंध में किसानों के बीच जागरूकता का सृजन कर रही है। इसी तरह एनएमएसए के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एनओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक कृषिके लाभ के संबंध में किसानों को शिक्षित किया जा रहा है। सरकार वर्ष 2010 से पोषक आधारित सब्सिडी स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रही है तथा खादों के संतुलित उपयोग के लिए अनुकूलित और फॉर्टिफाइड उर्वरकों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है।

इसके अतिरिक्त, भूमि जल के सुधार/संरक्षण/संचयन के लिए सरकार के प्रयास/पहल निम्नानुसार हैं, जिससे भूमि-जल में प्रदूषकों के प्रभाव को कम किए जाने की संभावना है-

माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 08.06.2019 को जल संरक्षण और संचयन के महत्व के बारे में सभी सरपंचों को एक पत्र लिखा है और उनसे जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी उचित उपायों को अपनाने का आह्वान किया है।

दिनांक 11.06.2019 की बैठक में मंत्री, जल शक्ति द्वारा संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अधिकारियों के साथ जल संरक्षण/संचयन के मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

भारत सरकार ने जल के दबाव वाले ब्लॉकों में भूमि जल स्थिति सहित जल की उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से मिशन मोड दृष्टिकोण सहित जल शक्ति अभियान, जो कि एक समयबद्ध अभियान है, शुरू किया है।

“मॉनसून वर्षा का इष्टतम उपयोग करने के लिए जल संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों” के विषय को आगे बढ़ाने के लिए सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग) की अध्यक्षता में “अंतर-मंत्रालयी समिति” का गठन किया गया है, जो कि समय-समय पर जल संसाधन संबंधी मुद्दों की चर्चा के लिए बैठकें करती है। समिति विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों से अधिकारियों को शामिल करती है। अंतर-मंत्रालयी समिति की अंतिम बैठक 01.05.2019 को आयोजित की गई थी।

मंत्रिमंडल सचिव ने दिनांक 21.05.2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जल संरक्षण/संचयन संबंधी मुद्दे पर चर्चा की थी।

“भूजल प्रदूषण” विषय पर दिनांक 18.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4307 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत के भूमि जल में विभिन्न संदूषकों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.	राज्य/राज्य क्षेत्र	(3000 माइक्रो mhos/cm (विद्युत))	फ्लोराइड (1.5 मिया/ली से)	नाईट्रेट (45 मिया/ली से)	आर्सेनिक (0.01 मिया/ली से)	(1 मिया/ली से)	(0.01 मिया/ली से)	कैडमियम (0.003 मिया/ली से)	क्रोमियम (0.05 मिया/ली से)
1	आंध्र प्रदेश	12	12	13	3	7			
2	तेलंगाना	8	10	10	1	8	2	1	1
3	असम		9		19	18			
4	अरुणाचल प्रदेश					4			
5	बिहार		13	10	22	19			
6	छत्तीसगढ़	1	19	12	1	17	1	1	1
7	दिल्ली	7	7	8	2		3	1	4
8	गोवा					2			
9	गुजरात	21	22	24	12	10			
10	हरियाणा	18	21	21	15	17	17	7	1
11	हिमाचल प्रदेश			6	1				
12	जम्मू और कश्मीर		2	6	3	9	3	1	
13	झारखंड		12	11	2	6	1		
14	कर्नाटक	29	30	29	2	22			
15	केरल	4	5	11		14	2		1
16	मध्य प्रदेश	18	43	51	8	41	16		
17	महाराष्ट्र	25	17	30		20	19		
18	मणिपुर		1		2	4			
19	मेघालय		1			6			
20	नगालैंड		1			1			
21	ओडिशा	17	26	28	1	30			1
22	पंजाब	10	19	21	10	9	6	8	10
23	राजस्थान	30	33	33	1	33	3		
24	तमिलनाडु	28	25	29	9	2	3	1	5
25	त्रिपुरा					4			
26	उत्तर प्रदेश	13	34	59	28	15	10	2	3
27	उत्तराखंड			4		5			
28	पश्चिम बंगाल	6	8	5	9	16	6	2	2
29	अंडमान और निकोबार	1				2			
30	दमन और दीव	1		1	1				
31	पुदुच्चेरी			1					
		18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 249 जिलों के	23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 370 जिलों के	23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 423 जिलों के	21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 152 जिलों के	27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 341 जिलों के	14 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 92 जिलों के	9 राज्यों के 24 जिलों के भागों में (कैडमियम)	10 राज्यों के 29 जिलों के भागों में (क्रोमियम)